न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 46 / 2022 (अपील)

उनवान

1. निहाल कंवर पत्नी बहादुर सिह जाति राजपूत
2.. दशरथ सिंह आत्मज बहादुर सिह जाति राजपूत
3 जतन कंवर पुत्री बहादुर सिंह जाति राजपूत
4 रायसिंह आत्मज गोगसिंह जाति राजपूत
5 रघुनाथ सिंह आत्मज गोगसिंह जाति राजपूत
6. लालसिंह आत्मज इन्द्रसिंह जाति राजपूत
7 .करणसिंह आत्मज इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. जसवन्त सिंह आत्मज भवंरसिंह जाति राजपूत
2 .शिवराज सिंह आत्मज भंवरसिह जाति राजपूत
3. रघुराज सिंह आत्मज बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
4 .द्वारकालाल आत्मज रामलक्ष्मण जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से 1,2)
3.रेस्पोडेन्ट न0 3, 4,बावजूद सूचना अनुपस्थित)

न्यायालय तहसीलदार कनवास के आदेश दिनांक 11.05.2023 की अप्रसन्नता से अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 14.08.2024

1. अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास के द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2023 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत पेश की गई संक्षेप में प्रकरण तथ्य इस प्रकार है कि जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट न01,2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ। रेस्पोडेन्ट न0 3,4 बावजूद सूचना अनुपस्थित । विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी ग्राम खजूरी तहसील कनवास के संबध में मौके की जांच किये बिना ही बटवारे का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट पर भरोसा किया गया, अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 परिवार के सदस्य है। जो पूर्वजो के समय से मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु मौके की स्थिति को समझे बिना ही बटवारे का आदेश सहमति से प्राप्त कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि ख0न0 760 वाके ग्राम खजूरी स्थित आराजी पर अपीलाण्ट मौके पर काबिज काश्त है, जिसके कुछ हिस्से पर रेस्पोडेन्ट काबिज है परन्तु सम्पूर्ण आराजी बटवारे में रेस्पोडेन्ट को दे दी गयी व रास्ते तथा कुऐं के संबध में स्पष्ट आदेश पारित नहीं होने से हमेशा की भांति स्थिति बनी हुयी है। इस कारण से मौके पर काबिज अनुसार बटवारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस बाबत जानकारी होने पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार कनवास को दिनांक 3.10.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया जिनके द्वारा अपील के माध्यम से ही आदेश में संशोधन हो जाने की कहने पर अपीलाण्ट द्वारा जानकारी कर अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट को पढ सुनकर आपसी सहमति से बटवारा नामा बताया गया और न ही अपीलाण्ट को पढने का अवसर प्रदान किया। अपीलाण्ट द्वारा सम्बन्धों पर विश्वास कर हस्ताक्षर कर दिये गये जिसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है। जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो मौके पर जाकर न तो मौका ही देखा गया और न ही अपीलाण्ट को इस बाबत कोई जानकारी ही प्रदान की गयी । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमायी जाकर साक्ष्य लेकर मौके पर काबिज काश्त अनुसार बटवारा करे।

4. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट का धारा 53(2)(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहमति से बटवारा हुआ। सहमति से बटवारे की अपील नहीं होती है। ख0न0 758,759,761,1252 में हमारे कुए है। कुए के मामलो में खातेदारी नहीं दी जा सकती है। यदि अपील स्वीकार हुई तो राजस्व की हानि होगी ।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 11.05.2023 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 26.10.2023 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम

जानकारी 7.10.2023 को नकल प्राप्त होने पर बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

6 रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि पूर्व लोक अदालत आपसी राजीनामे की भावना के सहमति से बंटवारा होना प्रमाणित है। प्रकरण में आर0 एल0 डब्ल्यू 2014 प्रथम पूर्णतया चस्पा होती है। सहमति से हुए बटवारे के उपरान्त न्यायालय हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

7 परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा